



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062025-264217
CG-DL-E-28062025-264217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947

No. 382]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

सा.का.नि. 425(अ).— निम्नलिखित मसौदा नियम जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 में संशोधन करने के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (न) और (प) के साथ पठित धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (क) और उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों को दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) संशोधन नियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 में नियम 2 में मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो,

(i) केन्द्रीय सरकार के मामले में गृह मंत्रालय के संघ के गृह सचिव, अथवा

(ii) राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव, अथवा

(iii) केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के संघ के गृह सचिव, राज्य सरकार के गृह विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा उस राज्य सरकार द्वारा उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर अपरोधन करने के लिए किए गए अनुरोध पर।

[फा.सं. 24-06/2024-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम दिनांक 6 दिसंबर, 2024 को संख्या सा.का.नि. 754(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

G.S.R. 425(E).— The following draft rules, to amend the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024, for item (c) in rule 2, the following item shall be substituted, namely:-

“(c) “competent authority” means, as the case may be,

- (i) the Union Home Secretary in the Ministry of Home Affairs in the case of the Central Government, or
- (ii) the Secretary to the State Government in charge of the Home Department in the case of a State Government, or
- (iii) the Union Home Secretary in the Ministry of Home Affairs of the Central Government, on the request made by the Secretary in-charge of the Home Department of the State Government for interception by that State Government beyond its territorial jurisdiction.”

[F.No. 24-06/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 754(E) dated the 6th December, 2024.